संख्या- 32 /2024/ 2071 सत्रह-म-2024-17-1002-002-1-2021

प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 27 नवंबर, 2024

विषयः- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 6600.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि (रू0 285.32131 लाख +रू0 525.53607 लाख+ रू0 213.51333 लाख+ रू0 118.19750 लाख+ रू0 88.08993 लाख)= रू0 1230.65814 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-507 /नि0शा0/PMMSY-SNA/ 2024-25 दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 6600.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि (रू0 285.32131 लाख +रू0 525.53607 लाख+ रू0 213.51333 लाख+ रू0 118.19750 लाख+ रू0 88.08993 लाख)= रू0 1230.65814 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2 - अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुरूष वर्ग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता

अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 6600.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि (रू0 285.32131 लाख +रू0 525.53607 लाख+ रू0 213.51333 लाख+ रू0 118.19750 लाख+ रू0 88.08993 लाख)= रू0 1230.65814 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तार्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथास्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारीकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानीआवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्य य किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षों और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य / सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तेर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम्0एस0 / डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों सहित अन्य

संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड्बुक के नियमों तथा अन्यी स्थाषयी आदेशों के अन्तमर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्तच( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1230. 65,814 ( रुपये बारह करोड़ तीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ चौदह मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 017 **लेखा शीर्षक** 2405001018903 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-215-X-2024-25-दिनांक:26-11-2024, में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Harish Kumar Ashok
Date: 27-11-2024 14:06:18

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 32 /2024/ 2071(1)/सत्रह-म-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।